



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052026-272860
CG-DL-E-25052026-272860

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2535]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2026/ज्येष्ठ 4, 1948

No. 2535]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 2026/JYAISTHA 4, 1948

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2026

का.आ. 2627(अ).— केन्द्रीय सरकार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 99 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनकी यह राय है कि ऐसा करना समीचीन है, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, इस अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की अनुसूची में, शीर्षक “1. शारीरिक दिव्यांगता” के अधीन, उपशीर्षक “गतिविषयक दिव्यांगता” के अधीन क्रम संख्या (ड.) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(ड.) “तेजाब आक्रमण से पीड़ित” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका शरीर हिंसक हमले या आत्म-पीड़न या दुर्घटनावश, तेजाब या समान संक्षारित पदार्थ को फेंकने, देने या गिराने के कारण बाहर या अंदर से विद्रूपित हो गया हो।

[फा. सं. पी-13013/54/2026-नीति]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
(Department of Empowerment of Persons with Disabilities)
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2026

S.O. 2627(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 99 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is expedient so to do, hereby makes the following amendment in the Schedule to the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely: -

In THE SCHEDULE to the said Act, under the heading “1. Physical disability”, under the sub-heading “A. Locomotor disability”, for serial number (e) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

‘(e) “acid attack victim” means a person disfigured externally or internally, due to violent assault or self-infliction or accident, by throwing, administering, spilling of acid or similar corrosive substance.’.

[F. No. P-13013/54/2026-Policy]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.